दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

ज़मानत अर्ज़ी 463/2021

<u>निर्णय सुरक्षित किया गया : 15.03.2021</u>

<u>निर्णय की तिथि : 25.03.2021</u>

प्रभात कुमार श्रीवास्तव .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राकेश खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता संग श्री आलोक कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री हर्ष सेठी, श्री सर्वप्रिय मक्कड, श्री हिमांशु भंडारी, श्री नमन जोशी एवं श्री अभिषेक प्रुथी, अधिवक्तागण।

बनाम

गंभीर कपट जाँच कार्यालय .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री चेतन शर्मा, अति.महा. सॉलिसिटर संग श्री अजय दिग्पॉल, कें.स.स्था.अधि., श्री अमित गुप्ता, श्री विनय यादव, श्री अक्षय गडीओक, सुश्री सहज गर्ग, भारत संघ के लिए श्री आर. वेंकट प्रभात, श्री कमल आर. दिग्पॉल एवं श्री उपमन्यु शर्मा, अधिवक्ता के साथ ।

कोरमः

माननीय न्यायाधीश सुश्री अनु मल्होत्रा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनु मल्होत्रा</u>

1. वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी शिकायत संख्या 149/2020 में नियमित ज़मानत की मांग करता है जो कि विद्वान विशेष न्यायाधीश , कंपनी अधिनियम, द्वारका जिला न्यायालय के समक्ष ***"गंभीर कपट जाँच अधिकारी (एस.एफ़.आई.ओ.) बनाम रॉकलैंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड एवं अन्य"*** के शीर्षक से लंबित है तथा जिसमें प्रार्थी को फाज़िल विचारण न्यायालय के 29.02.2020 के आदेश के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 36(सी), 128, 129, 134, 188(5), 447, 448 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211, 217, 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के अभिकथित कृत्य के लिए बुलाया गया है।

2. विद्वान विशेष न्यायाधीश , कंपनी अधिनियम के 29.02.2020 के सम्मन जारी करने के आदेश टिप्पणी के अनुसार, केंद्र सरकार ने धारा 206 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन 20.11.2017 के आदेश के माध्यम से जांच के निर्देश दिए जिसके समापन पर केंद्र सरकार को कंपनी अधिनियम की धारा 208 के अंतर्गत 19.02.2018 को एक जांच

आख्या प्रस्तुत की गयी जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(क), (ख)और (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31.05.2018 के आदेश के माध्यम से रॉकलैंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड (आर.एच.एल.), जो अब मै. मेडोर हॉस्पिटल लिमिटेड है, के कामकाज की जाँच का ज़िम्मा सौंपा तथा 30.09.2019 के आदेश के माध्यम से शिकायतकर्ता की चार अन्य ग्रुप कंपनियों, यानी रॉकलैंड होटल्स लिमिटेड (आर.एच.ओ.एल.), सोम्या कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एस.एम.सी.एल.), रॉकलैंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (आर.एम.सी.पी.एल.) एवं आर.एस.एच. मेडिटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, के कामकाज के अन्वेषण की अनुमति भी प्रदान की। एस.एफ़.आई.ओ. के निदेशक ने 08.06.2018 के आदेश, जिसे 22.06.2018 एवं 10.05.2019 के आदेशों द्वारा संशोधित किया गया, द्वारा एस.एफ़.आई.ओ. के अधिकारियों को निरीक्षकों के तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु उपरोक्त कंपनियों की जाँच लिए नियुक्त किया;

यह भी कहा गया है कि विभिन्न अभिकरणों, जिन में एम.सी.ए. पोर्टल, क्षेत्रीय निदेशक/आर.ओ.सी., बैंक, सरकारी विभाग, सांविधिक लेखापरीक्षक भी शामिल हैं, से जानकारी एकत्रित की गयी एवं अन्य कई व्यक्तियों के बयान रिकॉर्ड किये गए।

3. संचालित जाँच के अनुसार, अभियुक्त के रूप में शामिल याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों ने मिलीभगत से आर.एच.एल. की निधि का अलग-अलग/विशिष्ट लेनदेन के माध्यम से गबन किया।

4. आर.एच.एल. के कार्यकाल के दौरान, सात अलग-अलग लेनदेन होने का आरोप है जिसके तहत उक्त कंपनी के कोष में हेराफेरी की गई। ऐसे लेनदेन का विवरण जो समन जारी करने के आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मुक़द्द्मे की सुनवाई के लिए बुलाया गया है, में वर्णित हैं सामने रखा गया जैसा कि एस.एफ़.आई.ओ की ओर से प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों में भी वर्णित हैं जो इस प्रकार है:

> *"23. यह कि जांच ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध किया जिससे स्पष्टतः यह साबित होता है कि प्रार्थी ने सह-अभियुक्त*

*की मिलीभगत से उपरोक्त अपराधों को विभिन्न **अलग / विशिष्ट घटनाओं** / कार्यप्रणाली द्वारा अंजाम दिया। जांच आख्या द्वारा यह साबित होता है कि 12.09.2013 से आर.एच.एल. फंड्स के दृष्टांत 1 , 2, & 4 में गबन की कुल राशि ₹87.93 करोड़ थी। लेयर 1 में आने वाली कंपनियों (दृष्टांत 3) के शेयरों की बिक्री से होने वाला कुल अवैध लाभ ₹102.85 करोड़ है तथा आई.एफ़.सी. के शेयरों की खरीद और वी.पी.एस. को पुनः बिक्री से ₹8.15 करोड़ है।*

24. धोखाधड़ी की अलग-अलग घटनाएं तथा प्रार्थी द्वारा अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से अपनायी कार्यप्रणाली संक्षिप्त में निम्न हैं:

A. पहला उदाहरण:** जांच ने यह साबित किया कि प्रार्थी ने सह-अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी एवं ऋषि कुमार श्रीवास्तव के साथ षड्यंत्र करते हुए आर.एच.एल. के फंड जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) से अतिरिक्त एफ़.ए.आर. शुल्क की वापसी के रूप में प्राप्त हुआ था, को निकाल लिया। यह सिद्ध किया गया कि ₹13.21 करोड़ की राशि का **भुगतान आर.एच.एल.

& एफ़.ए.आर.सी. (न्यास) के संयुक्त खाते से *आर.एच.एल. के नाम पर लिए गए मियादी ऋण द्वारा किया गया। जब कि एम.सी.डी. को किया हुआ उपरोक्त भुगतान आर.एच.एल. & एफ़.ए.आर.सी. (न्यास) के संयुक्त खाते से किया गया था, एस.डी.एम.सी. द्वारा की गई धन वापसी को जानबूझकर* ***एफ़.ए.आर.सी. के निजी खाते में दिनांक 26.03.2015 को लिया गया,*** *और उसी दिन, ₹13.17 करोड़ की कुल राशि प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी के हस्ताक्षर द्वारा सह-अभियुक्त ऋषि कुमार श्रीवास्तव के निजी बचत खाते में हस्तांतरित की गयी। इसके अतिरिक्त, अगले दिन, ₹13.17 करोड़ की वही राशि ऋषि कुमार श्रीवास्तव के खाते से अरक्षित ऋण के रूप में आर.एच.एल. को हस्तांतरित की गयी। ₹13.17 करोड़ का उक्त अरक्षित ऋण आर.एच.एल. द्वारा ऋषि कुमार श्रीवास्तव को धीरे-धीरे 2014-15, 2015-16 & 2016-17 के वित्तीय वर्षों में लौटा दिया गया, जबकि वह निधि आर.एच.एल. की ही थी।* ***एफ़.ए.आर.सी. से ऋषि***

कुमार श्रीवास्तव को रकम हस्तांतरित कर एवं अरक्षित ऋण के रूप में आर.एच.एल. को आगे हस्तांतरित कर के एक झूठा दिखावा यह दर्शाने के लिए किया गया कि रकम ऋषि कुमार श्रीवास्तव द्वारा आर.एच.एल. को हस्तांतरित की गयी है, जैसा कि एफ़.ए.आर.सी. के वित्तीय विवरण में बताया गया, हालांकि असल में आर.एच.एल. पर अतिरिक्त ₹13.17 करोड़ की देनदारी का बोझ डाल दिया गया, जो कि वैसे भी आर.एच.एल. की ही रकम थी।

B. दूसरा उदाहरण: *जांच ने यह सिद्ध किया कि आर.एच.एल. एक हॉस्पिटल इनफार्मेशन सिस्टम (एच.आई.एस.) रखता था जिसमें उसके अस्पतालों में सुविधाएं/सेवाओं का लाभ उठाने वाले मरीज़ों का विवरण दर्ज किया जाता है तथा यह प्रविष्टियां, जिनमें रोगी पंजीकरण, बिलिंग, अस्पताल से छुट्टी आदि सम्मिलित हैं, उनके सम्बंधित विभागों द्वारा दर्ज की जाती हैं। परन्तु जैसा कि आई.टी. टीम ने शपथ पर दर्ज बयान के समय कहा, केवल*

रोगियों की एक विशिष्ट श्रेणी जिन्हें "डॉक्टर रेफ़र्ड पेशेंट्स" (डी.आर.पी.) कहा जाता है के संबंध में यह प्रविष्टियां आर.एच.एल. के एम.डी. प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी एवं ग्रुप सी.एफ़.ओ. निखिल शर्मा के आदेशानुसार तथा उनकी जानकारी के मुताबिक़ आर.एच.एल. की आई.टी. टीम द्वारा की जाती थी। जांच के दौरान एकत्रित ईमेल संवाद यह सिद्ध करता है कि प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी ने हॉस्पिटल इनफार्मेशन सिस्टम में दर्ज "डॉक्टर रेफ़र्ड पेशेंट्स" से सम्बंधित रोगी की जानकारी में गड़बड़ी का सञ्चालन/निदेशन किया। ***उन डॉक्टर, जिन के नाम एच.आई.एस. में दर्ज हैं, ने शपथ पर यह बयान दिया कि "डॉक्टर रेफ़र्ड पेशेंट्स" पर की जाने वाली इस प्रमात्रा एवं रूप की शलयचिकित्साएं गलत एवं जाली हैं। अतः यह डी.आर.पी. संव्यवहार मूल रूप से काल्पनिक थे तथा लेखा पुस्तकों में हेर फेर करने के साधनों में से एक थे। आर.एच.एल. के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण से यह खुलासा हुआ कि***

आर.एच.एल. ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से सम्बंधित ₹66.17 करोड़ के राजस्व/प्राप्य राशि को कंपनी की लेखा पुस्तकों से मिटा दिया क्यूंकि इसका विवरण अस्तित्वहीन तथा अतिरंजित पाया गया। अतः जांच ने यह साबित किया कि उपरोक्त गड़बड़ी/कपटपूर्ण कार्य वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं, जैसे कि बैंक/संभावित निवेशकों, को डी.आर.पी. श्रेणी के रोगियों द्वारा प्राप्त बढ़ी हुई/जाली/अस्तित्वहीन आय /प्राप्य राशि दर्शा कर छलने के उद्देश्य से किया गया था।

C. तीसरा उदाहरण: जांच से यह सिद्ध हुआ कि प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी, आदित्य कुमार भंडारी एवं निखिल शर्मा (ग्रुप सी.एफ़.ओ.)/सह-अभियुक्त ने जाली प्रत्यारोपण बिल बनाने का भी निर्देश दिया। ईमेल संचार से यह साबित हुआ कि ***आर.एच.एल. नियमित रूप से और व्यवस्थित ढंग से अन्य पक्षकारों के चिकित्सा प्रत्यारोपण से संबंधित यह बीजक बनाते आया है।*** *जांच के दौरान एकत्रित ईमेल ने यह भी साबित किया कि अन्य*

पक्षकारों के यह बीजक इन अन्य पक्षकारों को भुगतान करने के बाद की तिथि में बनाये गए थे। आर.एच.एल. की लेखा पुस्तकों एवं उसके बैंक विवरण से यह सिद्ध हुआ कि आर.एच.एल. की ₹76.03 करोड़ की कुल राशि प्रत्यारोपण व्यय के नाम पर हस्तांतरित की गयी जिसके लिए जाली बिल स्वयं आर.एच.एल. द्वारा तैयार किये गए। आर.एच.एल. की लेखा पुस्तकों एवं ईमेल ने यह साबित किया कि यह राशि 71 विभिन्न खातों/संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के बीच भेजी गयी। जांच से यह सिद्ध हुआ कि यह खाते अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर्स द्वारा संचालित किये जा रहे थे जो पक्षकारों के जाल के माध्यम से प्रविष्टियों को हस्तांतरित कर निधि के स्त्रोत एवं गंतव्य को छद्म वेष कर देते हैं। ***जांच ने यह स्थापित किया कि प्रार्थी वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के बीच आर.एच.एल. के दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी था। वह आर.एच.एल. में खर्च के प्रति भुगतान का हस्ताक्षर एवं स्वीकृति***

प्राधिकारी था। वह आर.एच.एल. के बैंक खातों जिनके माध्यम से 71 खातों/संस्थाओं को भुगतान किया गया था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था । इसी के निदेशन से जाली व्यय एवं ₹76.03 करोड़ का गबन आर.एच.एल. के लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया था।

D. चौथा उदाहरण: *आर.एच.एल. की लेखा पुस्तकों ने यह सिद्ध किया कि प्रवर्तकों द्वारा ₹9.61 करोड़ की कुल राशि शेयर पूँजी के रूप में लायी गयी तथा कुल ₹168.38 करोड़ की राशि आर.एच.एल. के प्रवर्तकों, जिसमें प्रार्थी भी शामिल है, द्वारा नियंत्रित 21 कंपनियों (लेयर 1) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी में लायी गयी। जब कि आर.एच.एल. के सभी प्रवर्तकों और उनके जीवन साथियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान दायर आयकर विवरणी में उनकी निवल आय केवल ₹8.53 करोड़ थी। आर.एच.एल. के प्रवर्तकों, जिसमें प्रार्थी*

भी शामिल है, द्वारा यह 21 कंपनियां इस कपटपूर्ण उद्देश्य के साथ निगमित की गयी थी कि उनका उपयोग आर.एच.एल. की निधि का गबन कर आर.एच.एल. में अपनी शेयर पूँजी बढ़ाने के साधन के रूप में किया जाएगा और यह बात आयकर समझौता आयोग के समक्ष स्वयं स्वीकृत की गयी थी। ***इसके अतिरिक्त, इन 21 लेयर 1 कंपनियों का नियंत्रण प्रवर्तकों द्वारा कर्मचारियों को बोर्ड में नकली निदेशकों के रूप में स्थापित कर किया जाता था। इन नकली निदेशकों का इन कंपनियों पर कोई सक्रिय नियंत्रण नहीं था तथा इन 21 लेयर 1 कंपनियों के शेयर 266 लेयर 2 कंपनियों के पास थे। इन लेयर - 1 कंपनियों के कर्मचारियों ने शपथ पूर्वक यह बयान दिया है कि या तो उन्हें निदेशकों के रूप में अपने नाम देने के लिए विवश किया गया था या उन्होंने इन कंपनियों में निदेशक पद अपनी नौकरी बचाने के लिए लिया था।*** *लेयर - 2 कंपनियों के पास जो लेयर - 1 कंपनियों के शेयर थे उनको अपने और अपने सह-प्रवर्तकों के*

परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने के पीछे प्रार्थी का दिमाग था। ***यह धोखे से अर्जित शेयर वी.पी.एस. को ₹10.2.85 करोड़ में बेच दिए गए और इस प्रकार बेईमानी के शेयर को बेच कर अवैध लाभ प्राप्त किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ एक कंपनी के निदेशकों/प्रवर्तकों को पूर्ण रूप से कंपनी के सदस्यों, जिन में अल्पसंख्यक शेयरधारक तथा ऋणदाता (बैंकर) भी शामिल हैं, के लाभ हेतु कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भाव से कार्य करने का कर्तव्य सौंपा जाता है, वहीँ इस मामले में प्रार्थी ने कपटपूर्वक कंपनी के व्यवसाय का संचालन केवल आर.एच.एल. में कंपनी की शेयरधारिता को बढ़ाने के लिए किया और वो भी आर.एच.एल. की निधि का गबन कर के।***

E. पांचवा उदाहरण: *जांच से यह सिद्ध हुआ कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आर.एच.एल. एवं रॉकलैंड होटल्स लिमिटेड (आर.एच.ओ.एल.) के प्रवर्तक, निदेशक एवं हस्ताक्षरी, जिन में प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी भी शामिल*

*है, एक ही थे। आर.एच.ओ.एल. को वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 21 में से 18 लेयर 1 कंपनियों की शेयर पूँजी प्राप्त हुई जो कि ₹14.52 करोड़ थी। जांच ने यह सिद्ध किया कि आर.एच.ओ.एल. में आने वाली ₹1.16 करोड़ की शेयर पूँजी आर.एच.एल. की निधि से प्राप्त हुई। यह साबित किया जाता है कि आर.एच.एल. ने एस.सी.पी.एल. एवं आर.एस.एच. मेडिटेक को कुछ भुगतान किये थे जिन्हें **अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर्स** की सहायता से आर.एच.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया जिससे आर.एच.एल. की निधि में गबन साबित होता है।*

***F. छठा उदाहरण:** जांच ने यह स्थापित किया कि 2008 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ('आई.एफ़.सी.') (विश्व बैंक समूह) ने आर.एच.एल. में ₹40 करोड़ का निवेश किया था। 22.03.2016 को प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी ने वी.पी.एस. हेल्थ केयर लिमिटेड ('वी.पी.एस.') के साथ एक आशय पत्र (एल.ओ.आई.) पर आर.एच.एल. के 100% इक्विटी शेयर वी.पी.एस. को बेचने के*

लिए हस्ताक्षर किये। उस समय प्रार्थी के पास सारे शेयर नहीं थे। 27.06.2016 को आई.एफ़.सी. के शेयर केवल प्रवर्तकों द्वारा ₹11 करोड़ में खरीदे गए। प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी ने आई.एफ़.सी.को वी.पी.एस. से हुए सौदे के बारे में जानकारी न देने का निर्णय लिया और ₹11 करोड़ का एक अलग सौदा आई.एफ़.सी. के साथ उसके आर.एच.एल. के शेयर खरीदने के लिए किया ताकि वह अल्पसंख्यक शेयर धारक (आई.एफ़.सी.) के व्यय पर इस सौदे से अनुचित लाभ प्राप्त कर सकें। वी.पी.एस. ने प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी, ऋषि कुमार श्रीवास्तव & माला श्रीवास्तव के निलंब खाते में ₹19.5 करोड़ की राशि भेजी है जिसके पश्चात आई.एफ़.सी. को ₹11 करोड़ का भुगतान किया गया। तत्पश्चात यह शेयर 2 दिन के अंदर वी.पी.एस. को ₹47.45 प्रति शेयर की कीमत पर बेच दिए गए जिसकी कुल राशि ₹19.15 करोड़ हुई। इस संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि 27.06.2016 को आई.एफ़.सी. एवं माला श्रीवास्तव के बीच

हुए शेयर बिक्री समझौते में यह स्पष्टतः लिखा था कि खरीदार यह शेयर पुनः बेचने के लिए नहीं खरीद रहा। ***अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्थापित हुआ कि प्रार्थी को आर.एच.एल. के शेयर की वी.पी.एस. को बिक्री के बारे में पूर्ण जानकारी थी तथा उसने आर.एच.एल. में अपने पद का दुरूपयोग कर अल्पसंख्यक शेयरधारक (आई.एफ़.सी.) से छल करने का षड्यंत्र किया जो की पूर्ण रूप से प्रवंचना की परिभाषा के अंतर्गत आता है क्यूंकि इसमें चूक, किसी तथ्य को छिपाना या कंपनी के निदेशकों (प्रभात कुमार श्रीवास्तव) द्वारा धोखा देने तथा अपने शेयरधारकों से अनुचित लाभ प्राप्त करने या उनके अधिकारों को चोट पहुंचाने के आशय से पद का दुष्प्रयोग करना भी शामिल है।***

G. सातवाँ उदाहरण: *जांच में यह स्थापित हुआ कि प्रभात कुमार श्रीवास्तव/**प्रार्थी** ने वित्तीय संस्था/यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (यू.बी.आई.), फ़ेडरल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, जिसमें यू.बी.आई. अग्रणी बैंक है, के समक्ष गलत/भ्रामक*

ब्यान दिए और उन्हें आर.एच.एल. के साथ, आर.एच.एल. को वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, समझौता करने के लिए प्रेरित किया। उसने वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उधार देने वाले बैंक को वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के बीच गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये थे। आर.एच.एल. की इस झूठी वित्तीय स्थिति के आधार पर ही समय-समय पर उसे ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी। जांच में यह स्थापित हुआ कि ऋण के संवितरण के सभी स्तरों पर आर.एच.एल. के प्रवर्तकों को अपने हिस्से का योगदान इक्विटी के रूप में लाना आवश्यक था। परन्तु जैसा की जांच में स्थापित हुआ कि अधिकतम शेयर पूंजी और प्रीमियम 21 लेयर 1 कागज़ पर आधारित कंपनियों के माध्यम से आता है जिसका स्त्रोत आर.एच.एल. के भवन के निर्माण/चिकित्सकीय संसाधन की खरीद के व्यय से पता लगाया जा सकता है। अतः आर.एच.एल. के प्रवर्तकों, जिन में प्रार्थी भी

शामिल है, ने अपनी पूंजी लाने के बजाय आर.एच.एल. की निधि का गबन किया और फिर उसी निधि को शेयर पूंजी के रूप में वापस ले आये तथा इसी शेयर पूंजी की अनुवृद्धि को दर्शाते वित्तीय विवरण का प्रयोग बैंक से और ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया। ***प्रार्थी ने प्रवर्तक निदेशक एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के बीच तुलन पत्र के हस्ताक्षरकर्ता तथा 01.03.2010 के बाद से आर.एच.एल. का प्रबंध निदेशक होने के नाते नकली देनदारों "डॉक्टर रेफर्ड पेशेंट्स" की वृद्धि खुद अपनी देखरेख में करवाई जिन्हें बैंकों को व्यापार में प्राप्य राशियों के रूप में दर्शाया गया जिसके आधार पर बैंकों ने आर.एच.एल. को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये। इस प्रकार जांच ने यह स्थापित किया कि प्रभात कुमार श्रीवास्तव/प्रार्थी ने कपटपूर्वक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को आर.एच.एल. को मियादी ऋण देने के लिए प्रेरित किया।***

H. लेखा पुस्तकों का मिथ्याकरण: *इसके अतिरिक्त जांच ने यह भी स्थापित किया कि आर.एच.एल. & आर.एच.ओ.एल. की वित्तीय स्थिति इन कंपनियों के मामलों की सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर नहीं दर्शाती है तथा प्रार्थी, वित्तीय विवरण के गलत होने की पूर्ण जानकारी रखने के बावजूद और यह जानते हुए कि मान्य संपत्तियों (भवन एवं चिकित्सकीय संसाधन) को बढ़ा कर दर्शाया गया है एवं लाभ और हानि लेखा में दर्ज व्यय जाली हैं आदि, इस वित्तीय विवरण का हस्ताक्षरकर्ता था।*

5. याचिकाकर्ता ने एस.एफ़.आई.ओ. की लिखित प्रस्तुतियों के जवाब में, विशेषतः उपरोक्त अनुच्छेद 4 में विस्तृत लेनदेन के संबंध में, यह प्रस्तुत किया है:

"आरोप 'क': *प्रार्थी ने आदित्य कुमार भंडारी एवं ऋषि कुमार श्रीवास्तव (बिना गिरफ़्तारी के आरोप पत्र/शिकायत दायर) के साथ षड्यंत्रपूर्वक कथित तौर पर आर.एच.एल. की लगभग ₹13.21*

करोड़ की निधि का गबन किया। प्रार्थी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 और 448 के अंतर्गत अपराध किया है।

प्रार्थी का उत्तर: *बैंक से यह राशि ऋण के रूप में प्राप्त होने के बाद, आर.एच.एल. ने यह राशि एम.सी.डी. को क़ुतब इंस्टीटूशनल एरिया हॉस्पिटल के अतिरिक्त निर्माण योग्य क्षेत्र/एफ़.ए.आर. के अनुमोदन के लिए दे दी क्योंकि आर.एच.एल. ने लाइसेंसधारक के तौर पर फार ट्रस्ट से अस्पताल का कब्ज़ा लिया था। परन्तु जब एम.सी.डी. ने यह राशि लौटाई तो एफ़.ए.आर.सी. ट्रस्ट ने इसे प्राप्त किया क्योंकि उक्त ट्रस्ट डी.डी.ए. का ज़मींदार/पट्टेदार था। एफ़.ए.आर.सी. ने यह राशि अपने एक ट्रस्टी ए-5/ऋषि कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से आर.एच.एल. को लौटा दी जिसे एफ़.ए.आर.सी. ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र में 'घोषित' भी कर दिया गया है। चूंकि जब वी.पी.एस. ने आर.एच.एल. को खरीदा तो उक्त राशि निदेशक ऋण के तौर पर*

बकाया थी तो वी.पी.एस. ने आर.एच.एल. को उक्त राशि का भुगतान किया और फिर आर.एच.एल. ने उक्त राशि का भुगतान ऋषि कुमार श्रीवास्तव को किया ताकि ऋषि कुमार श्रीवास्तव के नाम पर बकाया निदेशक ऋण की अदायगी हो सके। इस सम्बन्ध में, एस.एफ़.आई.ओ. ने इस पर भी विचार नहीं किया कि यदि उक्त राशि का भुगतान निदेशक ऋण के रूप में ऋषि कुमार श्रीवास्तव को नहीं किया जाता तो भी यह राशि आर.एच.एल. के शेयर की वी.पी.एस. को बिक्री मूल्य के तौर पर श्रीवास्तव परिवार/ऋषि श्रीवास्तव के पास ही पहुँचती क्योंकि आर.एच.एल. के 100% शेयर को खरीदने के लिए वी.पी.एस. द्वारा श्रीवास्तव परिवार को दिए जाने वाले बिक्री मूल्य में निदेशक ऋण की यह राशि भी शामिल थी। अतः श्रीवास्तव परिवार का इसमें कोई अनुचित लाभ नहीं है। अंत में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब वी.पी.एस. ने आर.एच.एल. को खरीदा था तब ₹13.22 करोड़ की उक्त राशि आर.एच.एल. द्वारा बैंक को लौटा दी गयी थी और

इससे न वी.पी.एस. को और न ही किसी बैंक को छला/अपकृत किया गया है। एस.एफ़.आई.ओ. ने इस पर भी विचार नहीं किया कि यदि ऋषि कुमार श्रीवास्तव उक्त राशि का गबन करना चाहता तो सबसे पहले वह उक्त राशि को आर.एच.एल. को हस्तांतरित नहीं करता।

आरोप 'ख': *बिक्री/रोगी आंकड़ों को बढ़ा कर दर्शा कर वित्तीय विवरण का उपयोग करने वालों को छलने तथा ऋण प्राप्त करने हेतु, प्रभात कुमार श्रीवास्तव एवं सी.एफ़.ओ. निखिल शर्मा (बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर) के निर्देश अनुसार आर.एच.एल. की आई.टी. टीम द्वारा "डॉक्टर रेफर्ड पेशेंट्स" (डी.आर.पी.) नामक रोगियों की एक श्रेणी कथित तौर पर रिकॉर्ड की गयी और चूँकि यह मरीज़ कथित तौर पर अवास्तविक थे, प्रार्थी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 36 (सी) के संग पढ़ी जाने वाली धारा 447 और 448 के अंतर्गत अपराध किया है।*

प्रार्थी का उत्तर: *वित्तीय विवरण के किसी भी उपयोगी या बैंक ने "छले जाने" का कोई आरोप नहीं लगाया है। इसके अतिरिक्त, एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा यह स्वीकृत है कि आर.एच.एल. द्वारा डी.आर.पी. बिक्री के प्रति कुल ₹145.59 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया गया है (आई.ओ. रिपोर्ट की पृष्ठ सं. 95)। अतः प्रथम दृष्टिया तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि डी.आर.पी. बिक्री झूठी थी क्योंकि आर.एच.एल. ने पैसे प्राप्त किये हैं ना की खोये हैं।*

आरोप 'ग': *उपरोक्त अभिकथित अवास्तविक रोगियों की श्रेणी के चिकित्सा उपचार को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रार्थी ने कथित तौर पर आदित्य कुमार भंडारी एवं निखिल शर्मा (बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर) के साथ आर.एच.एल. के नाम पर लगभग ₹76.03 करोड़ के जाली प्रत्यारोपण बिल तैयार करने के निर्देश दिए और इस प्रकार यह राशि आर.एच.एल. से कथित तौर पर चुरा ली गयी। दाखिला प्रचालकों ने यह बयान दिया है कि उक्त राशि*

अभियुक्तों को नकद के रूप में लौटा दी गयी है। अतः प्रार्थी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 तथा 448 के अंतर्गत अपराध किया है।

प्रार्थी का उत्तर: *विक्रेताओं (जिन्हें दाखिला प्रचालक कहा जा रहा है) को भुगतान केवल बैंक के द्वारा किये जाते थे ना की नकद के रूप में। दाखिला प्रचालकों द्वारा नकद अभियुक्तों को लौटा दिए जाने का आरोप निराधार है क्योंकि अभिलेख पर नकद लेनदेन के "स्त्रोत"/"नकद रसीद" जैसे कोई सबूत नहीं है। ज़मानत अर्ज़ी सं. 434/2020 "प्रदीप शेरावत बनाम राज्य" में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकद का कोई सबूत, जैसे की "स्त्रोत"/"नकद रसीद" ना होने के कारण अग्रिम ज़मानत प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एस.एफ़.आई.ओ. के आरोपों को वेदवाक्य भी मान लिया जाये तो भी यह दोहराया जाता है की ₹76.03 करोड़ की कथित गबन राशि के मुक़ाबले ₹145.59 करोड़ की राशि आर.एच.एल. द्वारा अवास्तविक डॉक्टर रेफर्ड पेशेंट्स सेल के*

उपरोक्त दृष्टांत में पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतः सबसे पहले तो गबन करने के उनके आशय का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आरोप 'घ', 'ङ', 'छ' व् 'ज': *कथित तौर पर आर.एच.एल. से झूठे व्यय/बिलों के माध्यम से बैंक निधि का गबन हुआ था जिसके बाद यह निधि श्रीवास्तव परिवार द्वारा नियंत्रित ग्रुप कंपनियों के माध्यम से शेयर पूंजी के रूप में वापस आर.एच.एल. में जमा करा दी गयी थी ताकि उनके शेयर का मूल्य बढ़ सके और बैंकों को बढ़ी हुई वित्तीय सामर्थ्य दर्शा कर और ऋण लिए जा सकें। अतः प्रार्थी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 36 (सी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 447 तथा 448 के अंतर्गत दायी होता है।*

प्रार्थी का उत्तर: *सर्वप्रथम तो आर.एच.एल. के अधिकतम शेयर श्रीवास्तव परिवार के थे तथा उन से व्यापार करने की उन्हें पूरी*

स्वतंत्रता थी। शेयर की खरीद बिक्री/हस्तांतरण पर आपत्ति जताने का अधिकार केवल 3 पक्षों को था- अल्पसंख्यक शेयरधारक यानी के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ़.सी.), बैंक या शेयर के आगामी खरीदार यानी के वी.पी.एस.। परन्तु इनमें से किसी ने भी आज तक कोई आपत्ति/शिकायत नहीं जताई है। अतः प्रत्यक्ष तौर पर धारा 36 (सी), 447 या 448 के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बैंक की निधि पूरी तरह से लौटा दी गयी है।

आरोप 'च': *आई.एफ़.सी. के पास जो आर.एच.एल. के अल्पसंख्यक शेयर थे उन्हें 27.06.2016 को वी.पी.एस. से हुए अंतर्निहित समझौते के बारे में आई.एफ़.सी. को जानकारी दिए बिना माला श्रीवास्तव (बिना गिरफ़्तारी के आरोप पत्र दायर) द्वारा पुनः खरीद लिया गया था। यदि आई.एफ़.सी. ने अपने शेयर सीधे वी.पी.एस. को बेचे होते तो आई.एफ़.सी. को ज़ादा लाभ होता।*

प्रार्थी का उत्तर: *27.06.2016 को आई.एफ़.सी. से शेयर पुनः खरीद लिए गए थे और आज तक आई.एफ़.सी. द्वारा कोई शिकायत/मुक़दमा दर्ज नहीं कराया गया है। बहर हाल माला श्रीवास्तव और आई.एफ़.सी. के बीच के लेनदेन शेयरधारकों और कंपनी के बीच द्विपक्षीय लेनदेन हैं यानी के आर.एच.एल. इसमें शामिल नहीं है। अतः आर.एच.एल. के साथ धोखाधड़ी करने का सवाल ही नहीं उठता।*

इस सम्बन्ध में, 14.05.2020 के आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी को ज़मानत प्रदान करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः यह कहा था कि:-

> *"अनुच्छेद 46... निश्चय ही किसी वित्तीय संस्था या केंद्रीय/राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त किसी शेयरधारक से कोई शिकायत नहीं आई है। जब कि, नितिन जोहरी (सुपरा) के मामले में बैंकों, शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों को भारी हानि पहुंची है।*

इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में यदि कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत छल साबित हो जाता है तो अभियुक्त को कम से कम 6 महीने की अवधि, जिसे 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, की क़ैद तथा कम से कम शामिल राशि जितने जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं, जहाँ तक याचिकाकर्ता की बात है...."

6. याचिकाकर्ता ने इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया है कि आर.एच.एल. 2004 में स्थापित हुआ था और निदेशकों एवं बहुलांश शेयरधारकों के तौर पर श्रीवास्तव परिवार के नेतृत्व में आर.एच.एल. ने लगभग ₹430 करोड़ का बैंक से ऋण लिया था; यह कि 2016 में माला श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ़.सी.) के आर.एच.एल. के अल्पसंख्यक शेयर खरीद लिए जिसके बाद आर.एच.एल. के 100% शेयर वी.पी.एस. हेल्थकेयर को बेच दिए गए; यह कि आर.एच.एल. के 100%

शेयर खरीदने के बिक्री मूल्य के भाग के रूप में आर.एच.एल. का कार्यभार संभालने के पश्चात श्रीवास्तव परिवार ने जनवरी 2017 में आर.एच.एल. के सभी ऋण अपने आर.एच.एल. के 100% शेयर खरीदने के बिक्री मूल्य में से चुका दिए जिसे आर.एच.एल. द्वारा श्रीवास्तव परिवार के कार्यकाल में प्राप्त किया गया और श्रीवास्तव परिवार के गारंटी को सेवा मुक्त कर दिया गया था; यह कि तद्पश्चात विभिन्न विवाद उठे और वी.पी.एस. हेल्थकेयर ने स्वयं अपने लेखा परीक्षक के माध्यम से दिसंबर 2017 में जिस प्रकार श्रीवास्तव परिवार ने आर.एच.एल. का कार्यभार संभाला उसके सम्बन्ध में आर.ओ.सी. के समक्ष एक शिकायत दायर की जिसके फलस्वरूप 31.05.2018 के आदेश के माध्यम से एम.सी.ए. ने एस.एफ़.आई.ओ. को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। आर.एच.एल. के किसी और शेयरधारक/लेनदार/ऋणी ने आज तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और इस पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान मामले में वी.पी.एस. हेल्थकेयर के अलावा अन्य कोई व्यथित पक्ष/शिकायतकर्ता नहीं है तथा आज तक किसी बैंक ने भी कोई

शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसके अतिरिक्त वह लेखा परीक्षक जिसने आर.ओ.सी. के समक्ष दिसंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में आर.एच.एल. का लेखा परीक्षक भी था परन्तु उसने चुप रहने का निर्णय लिया और उसने ना ही वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरण में एक भी टिप्पणी की और ना ही किसी प्राधिकारी से कुछ कहा; यह कि माध्यस्थम् अधिकरण, जिसमें भारत के पूर्व-सी.जे.आई. एच.एम.जे. टी.एस. ठाकुर एवं एच.एम.जे. आफताब आलम (माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश) शामिल थे, द्वारा पारित 01.03.2019 के अधिनिर्णय के माध्यम से आर.एच.एल. के नए प्रबंधन/वी.पी.एस. हेल्थकेयर एवं पुराने प्रवर्तकों/श्रीवास्तव परिवार, जो उस समय प्रार्थी के नेतृत्व में थे, के बीच के सभी विवाद निश्चयात्मक तौर पर निपटा दिए गए; यह कि वी.पी.एस. हेल्थकेयर ने भी एकमात्र व्यथित पक्ष होने के नाते 28.03.2019 के पत्र के माध्यम से आर.ओ.सी./एम.सी.ए. से अपनी सारी शिकायतें वापस ले ली; यह कि जब कभी भी प्रत्यर्थी एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा प्रार्थी को निर्देश मिले वह जांच

का हिस्सा बना और एक भी समन से बचने की कोशिश नहीं की तथा जांच के शुरू होने की तिथि से लेकर आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे यह दिखे कि प्रार्थी ने किसी गवाह/सबूत/जांच में दखल देने की कोशिश की हो; यह कि प्रार्थी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत प्रदान की गयी है जिसे सात विभिन्न अवसरों पर बढ़ाया जा चुका है; परन्तु प्रार्थी ने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन कभी नहीं किया है; यह कि आरोप पत्र/शिकायत 31.01.2020 में दायर की गयी थी और जांच पूरी हो चुकी है; यह कि प्रार्थी का पासपोर्ट पहले से ही प्रत्यर्थी के पास जमा है और यह कि प्रत्यर्थी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है की प्रार्थी की अभिरक्षा क्यों और किस उद्देश्य के लिए आवश्यक थी/है। अतः प्रार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी को हिरासत में रख कर कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी को ज़मानत अर्ज़ी सं. 639/2020 में 14.05.2020 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा नियमित

ज़मानत प्रदान की जा चुकी है; यह कि मुक़दमा 27.05.2021 के लिए सूचीबद्ध अभियुक्तों को समन करने के स्तर पर है और यह ध्यान में रखते हुए कि 46 गवाहों का परीक्षण होना है तथा मुक़दमे में अभी काफ़ी समय लगेगा प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा कर देना चाहिए।

7. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उसकी बीमारियों से जुड़े चिकित्सा दस्तावेज़ यह स्थापित करते हैं कि वह एक बीमार/दुर्बल व्यक्ति है जिसे गंभीर रोग हैं जैसे कि टाइप 2- डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, 'सीवियर' नॉन प्रोलीफिरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी (एन.डी.पी.आर.), हाइपोथायरायडिज्म, बिनाइन प्रोस्टेट हयपरप्लेशिया (बी.पी.एच.), एल.एफ़.टी. के बिगड़े हुए मापदंड तथा यह भी कहा गया है कि उसके पेशाब का प्रवाह भी अपर्याप्त है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी को बिनाइन पैरॉक्सिस्मल पोसिशनल वर्टिगो के दौरे आते हैं और उसे अब ठीक से चलने में भी दिक्कत आती है तथा उसके एल 3, एल 4 एवं एल 5 एस.1 में डिस्क बल्ज है। यह सभी बीमारियां ऐसी अपरिवर्तनीय स्वरुप की हैं कि उनके लिए निरंतर

जांच और इलाज की आवश्यकता है जिसमें चूक प्रार्थी के जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। प्रार्थी के अत्यंत सहरूग्ण होने के तथ्य को एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा भी खारिज नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी यह प्रस्तुत करता है कि वह एक बीमार/दुर्बल व्यक्ति है और इस कारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) के परन्तुक के अंदर आता है जिसके माध्यम से न्यायालय को प्रार्थी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) के अंतर्गत ज़मानत प्रदान करने की दोहरी शर्तों को लागू किये बिना ज़मानत प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इसके फ़लस्वरूप जो एक परीक्षण अब प्रार्थी पर लागू होता है वह है ट्राइपॉड टेस्ट यानी के क्या प्रार्थी के फ़रार होने का खतरा है, क्या उसने सबूतों से छेड़ छाड़ या गवाहों को प्रभावित किया है या कर सकता है और क्या जांच पूरी हो चुकी है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से ***"पी. चिदंबरम बनाम सी.बी.आई." 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1380,*** में माननीय भारतीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने की प्रार्थना की गई है जिसमें यह अवलोकन किया गया है कि:-

> ***"31. यह इंगित किया जाता है कि प्रत्यर्थी- सी.बी.आई. ने अपीलार्थी के प्रतिप्रेषण की मांग करते हुए 22.08.2019, 26.08.2019, 30.08.2019, 02.09.2019, 05.09.2019 तथा 19.09.2019 आदि जैसी कई तिथियों पर प्रतिप्रेषण आवेदन दायर किये हैं। इन आवेदनों में अपीलार्थी पर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश या किसी भी महत्वपूर्ण गवाह (अभियुक्त) तक अपीलार्थी या उसके बेटे की जानकारी न देने हेतु पहुंचने का आरोप नहीं लगाया गया है। समकालीन सामग्रियों के अभाव में अपीलार्थी द्वारा गवाहों तक पहुंच कर उन्हें प्रभावित करने के आरोप को ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जा सकता। फाज़िल एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष "...इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा..." की पुष्टि किसी सामग्री द्वारा नहीं की***

गयी है और यह केवल एक सामान्यीकृत आशंका तथा कल्पित प्रतीत होती है। बिना किसी महत्वपूर्ण आधार के केवल अपीलार्थी द्वारा गवाहों तक पहुंचने के प्रकथन तथा गवाहों पर आगे भी दबाव डालते रहने का अभिकथन अपीलार्थी को नियमित ज़मानत प्रदान करने से इंकार की वजह नहीं बन सकता वह भी तब जब अपीलार्थी लगभग दो महीनों से अभिरक्षा में है, उसने जांच अभिकरण का सहयोग किया है तथा आरोप पत्र भी दायर हो चुका है।

32. अपीलार्थी के फ़रार होने का जोखिम नहीं है तथा लागू शर्तों को ध्यान में रखते हुए मुक़दमे से उसके फ़रार होने की कोई संभावना नहीं है। अभियोजन का यह बयान कि अपीलार्थी ने गवाहों को प्रभावित किया है तथा आगे भी उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है, अपीलार्थी को ज़मानत प्रदान न करने का आधार नहीं हो सकता है विशेष तौर पर तब जब ऐसी कोई भी बात अभियोजन द्वारा दायर 6 प्रतिप्रेषण आवेदनों में नहीं

है। अपीलार्थी और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र 18.10.2019 को दायर किया जा चुका है। अपीलार्थी 21.08.2019 से लगभग दो महीनों से अभिरक्षा में है। सह-अभियुक्तों को पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है। अपीलार्थी कथित तौर पर 74 वर्षों का है तथा उम्र से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। उपरोक्त कारकों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी ज़मानत का हकदार है।"

9. प्रार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो उसके फ़रार होने का जोखिम है और न ही उसके विरुद्ध सबूतों से छेड़ छाड़ का कोई आरोप है तथा इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दायर हो चुका है। अतः उसे नियमित ज़मानत प्रदान की जाये।

10. प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी को नियमित ज़मानत प्रदान करने के दिनांक 14.05.2020 के आदेश में किसी सार्वजनिक धन के शामिल न

होने, सभी बैंक ऋण के पूरी तरह से चुकाए जाने, बैंककर्मियों द्वारा कोई शिकायत दर्ज न होने तथा किसी वित्तीय संस्था या केंद्रीय सरकार को कोई हानि न पहुंचने के तथ्यों को मान्यता दी गयी है। यह सभी कारक वर्तमान प्रार्थी/याचिकाकर्ता के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं।

11. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह विवाद उठाया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) के सम्बन्ध में जिसमें यह कानून बनाया गया कि:-

"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जाँच-

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), में निहित बातों के बावजूद, इस अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय होंगे तथा इन धाराओं के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए आरोपित किसी भी व्यक्ति को ज़मानत पर या जाती मुचलके पर रिहा नहीं किया जायेगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई की अर्ज़ी का विरोध करने का मौका दिया गया है; तथा

(ii) जहाँ लोक अभियोजक द्वारा अर्ज़ी का विरोध किया गया हो, न्यायालय के पास उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी न मानने के उचित कारण तथा ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के होने की संभावना न होने की संतुष्टि होनी चाहिए:

बशर्ते कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का या औरत या बीमार या दुर्बल हो उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है यदि विशेष न्यायालय के निर्देश हों:

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि विशेष न्यायालय इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगी जब तक कि निम्नलिखित द्वारा लिखित शिकायत न दी जाये-

(i) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय; या

(ii) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अधिकृत केंद्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट ज़मानत प्रदान करने की परिसीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) या वर्तमान काल में लागू किसी भी अन्य ज़मानत प्रदान करने के कानून के अतिरिक्त हैं।"

कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए आरोपित किसी भी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई की अर्ज़ी का विरोध करने का मौका न दिया जाये तथा जहाँ लोक अभियोजक द्वारा अर्ज़ी का विरोध किया गया हो, न्यायालय के पास उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी न मानने के उचित कारण तथा ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के होने की संभावना न होने की संतुष्टि होनी चाहिए। अतः एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6)(ii) के प्रावधान अनिवार्य रूप के हैं और यह कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा होने का हक़ नहीं है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने

दं.प्र.सं. 1973 की धारा 439 के अंतर्गत जिन आदेशों की मांग की है, वह बिना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) तथा 212(7) के प्रावधानों का संदर्भ लिए एवं बिना न्यायालय की संतुष्टि के आवश्यक स्तर अनुसार लिखित निष्कर्ष दर्ज किये कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप में उसकी बेगुनाही को मानने के उचित कारण हैं तथा ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के किये जाने की संभावना नहीं है, प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

12. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(7) इस प्रकार है:-

"212. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कामकाज की जाँच-

.....

.....

.....

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट ज़मानत प्रदान करने की परिसीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या ज़मानत प्रदान करने से

सम्बंधित अन्य किसी कानून जो उस समय लागू हो की परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

13. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी एक अभियुक्त है जिसके विरुद्ध धारा 447, 36 सहपठित धारा 447/448 सहपठित धारा 447 के अन्तर्गत अलग-अलग सुस्पष्ट कपटपूर्ण लेनदेन के लिए आरोप लगाए गए हैं जिनमें वह कथित तौर पर शामिल है। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) (ii) द्वारा आवश्यक संतुष्टि, जिसे दर्ज किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी को ज़मानत देने से पहले सभी उक्त पृथक लेनदेन से संबंधित है। एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उठाये गए आधार, यानी कि नए प्रबंधन/वी.पी.एस. से समझौता, बैंकों को कोई हानि न होना, बैंकों द्वारा कोई शिकायत न होना तथा वी.पी.एस. द्वारा जाँच की मांग करते हुए प्रस्ताव को वापस लेना, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ज़मानत अर्ज़ी पर निर्णय लेते समय विचार योग्य बातें नहीं हैं

बल्कि प्रार्थी को ज़मानत की राहत केवल अधिनियम की धारा 212(6) के अंतर्गत दी गई शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही दी जा सकती है।

14. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***"वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सी.बी.आई." (2013) 7 एस.सी.सी. 439*** के निर्णय पर भरोसा करते हुए एवं पैरा 34 और 35 में दिए गए प्रेक्षण के विशिष्ट संदर्भ के साथ, जो कि निम्न हैं प्रस्तुत किया गया :-

> *"34. आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी का हिस्सा हैं और ज़मानत के मामले में इन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। गहरे षड्यंत्र एवं लोक निधि के भारी नुकसान वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से तथा देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते गंभीर अपराधों के रूप में देखने की आवश्यकता है जो कि देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं।*
>
> *"35. ज़मानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आरोपों के स्वरुप, उसके अनुपूरक सबूतों के स्वरुप, दोषसिद्धि पर मिलने वाले दंड की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट*

परिस्थितियां, मुक़दमे में अभियुक्त की मौजूदगी सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों से हस्तक्षेप की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य समान बातों को ध्यान में रखना होगा।"

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते तथा उसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते आर्थिक अपराध में शामिल होने के कारण प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा नहीं करना चाहिए। एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था एवं लोकहित को गंभीर अत्यधिक अपरिवर्तनीय क्षति पहुंची है।

15. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह प्रस्तुत करने के लिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के समान परिस्तिथियों में जहाँ सर्वोपरि खंड द्वारा कानून में विस्तृत कारणों को छोड़ कर ज़मानत प्रदान करने से मना किया गया हो वहां ज़मानत से इंकार नियम बन जाता है और उसकी स्वीकृति अपवाद तथा उक्त अधिनियमिति यानी के एन.डी.पी.एस.

अधिनियम 1985 के अंतर्गत और तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 448 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के सम्बन्ध में भी ज़मानत के मामले में उदार दृष्टिकोण पूरी तरह से अनावश्यक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***"मध्य प्रदेश राज्य बनाम कजड" (2001) 7 एस.सी.सी. 673*** के निर्णय पर भी भरोसा किया गया। एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रेक्षण, जो कि निम्न हैं, पर भी भरोसा किया गया:-

> *"अधिनियम की धारा 37 का अध्ययन न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि वह व्यक्ति, जिस पर ऐसे अपराध का आरोप लगा हो जिसमें पांच साल या उससे अधिक अवधि की क़ैद हो, उसे सामान्यतः ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता है।* ***धारा 37(1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत ज़मानत से इंकार नियम और उसकी स्वीकृति अपवाद है।*** *ज़मानत प्रदान करने के लिए न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर इस बात की संतुष्टि होनी आवश्यक है कि अभियुक्त पर लगे*

आरोपों के सम्बन्ध में अभियुक्त की बेगुनाही पर भरोसा करने के उचित कारण हैं। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा ज़मानत के दौरान कोई अपराध होने की संभावना नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट ज़मानत प्रदान करने की शर्तें दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी लागू सामयिक ज़मानत प्रदान करने की प्रक्रिया का विनियमन करते कानून के अंतर्गत प्रदानित सीमाओं के अतिरिक्त है। ***अधिनियम के अंतर्गत ज़मानत के मामले में उदार दृष्टिकोण अनुचित है।"***

16. इसी तरह, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत ज़मानत प्रदान करने के पहलू के सम्बन्ध में एस.एफ़.आई.ओ. ***"बीजंदो सिंह बनाम मोहम्मद इबोचा" (2004) 10 एस.सी.सी. 151*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है इसके बावजूद की एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 37 के प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं:-

<u>"37. संज्ञेय एवं ग़ैर-ज़मानती अपराध-</u>

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित सभी चीज़ों के होते हुए भी,-

(a)इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे;

(b) *धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-ए के अंतर्गत आने वाले दंडनीय अपराध तथा* ***वाणिजियक मात्रा (?)*** *वाले अपराधों के लिए आरोपित किसी भी व्यक्ति को ज़मानत या अपने जाती मुचलके पर रिहा नहीं किया जायेगा जब तक की-*

(i) ऐसी रिहाई की अर्ज़ी का विरोध करने का अवसर लोक अभियोजक को न दिया गया हो तथा

(ii) जहाँ लोक अभियोजक द्वारा अर्ज़ी का विरोध किया गया हो, न्यायालय के पास उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी न मानने के उचित कारण तथा ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के होने की संभावना न होने की संतुष्टि होनी चाहिए:

(2) उपधारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट ज़मानत प्रदान करने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के

अंतर्गत या ज़मानत प्रदान करते अन्य किसी समकालीन लागू कानून में निर्दिष्ट सीमाओं के अतिरिक्त हैं।",

एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से उक्त निर्णय के पैरा 3 में दर्ज टिप्पणी पर भरोसा किया गया जो कि निम्न हैं:-

"3. *विशेष न्यायालय (एन.डी. & पी.एस.) के अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करते आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी उक्त आदेश के विरुद्ध इस आधार पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय गया कि ज़मानत प्रदान करता आदेश कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है तथा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया।* ***हालांकि, उच्च न्यायालय की राय में यदि अभियुक्त की हाज़री ज़मानतनामों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तो उसे ज़मानत पर रिहा होने का अधिकार है। अतः हमारी राय में उच्च न्यायालय ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया।*** *इस मामले के दृष्टिकोण से विशेष न्यायाधीश के अभियुक्त*

को ज़मानत पर रिहा करते आदेश तथा उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण आदेश को खारिज किया जाता है। अभियुक्त को तुरंत हिरासत में लिया जाये। अभियुक्त को हिरासत में लेने के बाद मुक़दमा प्रारम्भ किया जायेगा।"

17. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ***"केरल राज्य एवं अन्य बनाम राजेश एवं अन्य" (2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 81)*** के निर्णय पर उसमें की गई टिप्पणियों के विशेष संदर्भ के साथ भरोसा किया गया, जो कि निम्न है:-

"2. प्रार्थी के अभियोजन ने केरल उच्च न्यायालय के फाज़िल एकल न्यायाधीश के ***स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एतद्पश्चात "एन.डी.पी.एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 37(1)(बी)(ii) के अधिदेश को ध्यान में रखे बिना*** *अभियुक्त प्रत्यर्थी (गण) को 10 मई 2019 के आक्षेपित आदेश के अंतर्गत गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत प्रदान करने के विवेक को चुनौती दी है जिसके पश्चात 12 जून 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता (एतद्पश्चात*

"दं.प्र.सं." के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा 10 मई 2019 के गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत के आदेश को वापस लेने के लिए दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था।

.....

.....

18. न्यायालय के ज़मानत प्रदान करने की अधिकारिता एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों द्वारा सीमित है। यदि ऐसे अपराध में अभियुक्त की बेगुनाही को मानने के उचित कारण हैं तथा ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के होने की संभावना नहीं है तो ज़मानत प्रदान की जा सकती है। यह विधानमंडल का अधिदेश है जिसके पालन की आवश्यकता है। *इस समय पर अधिनियम की धारा 37 का सन्दर्भ लेना उचित है।*

.....

20. धारा 37 की स्कीम से यह पता चलता है कि ज़मानत प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग केवल दं.प्र.सं. की धारा 439 में दी गयी

सीमाओं के अधीन ही नहीं बल्कि धारा 37, जिसकी शुरुआत सर्वोपरि खंड से होती है, द्वारा लागू सीमाओं के भी अधीन है। *उक्त धारा का प्रभावी भाग नकारात्मक रूप से ज़मानत का परिवर्धन हर उस व्यक्ति के लिए विहित करता है जिस पर अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को करने का दोष लगा हो जब तक कि दो शर्तें पूरी नहीं की जाती। पहली शर्त यह है कि अभियोजन को अर्ज़ी का विरोध करने का एक मौका दिया जाना चाहिए; तथा दूसरी शर्त यह है कि न्यायालय के पास ऐसे अपराध में अभियुक्त की बेगुनाही को मानने के उचित कारन होने की संतुष्टि होनी चाहिए। यदि इन दो शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो ज़मानत प्रदान करने पर रोक लगेगी।*

21. शब्द "उचित कारण" का अर्थ हुआ प्रथम दृष्टया कारणों से कुछ अधिक। यह अभिकथित अपराध में अभियुक्त की बेगुनाही पर विश्वास करने के पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है। प्रावधान में जिस उचित विश्वास पर विचार किया गया है उसके लिए

अपने आप में पर्याप्त ऐसे तथ्यों एवं परिस्थितियों का होना आवश्यक है जिन से अभिकथित अपराध में अभियुक्त की बेगुनाही से संतुष्ट होने के औचित्य को साबित किया जा सके। *वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य, यह कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदानित परिसीमाओं या ज़मानत प्रदान करने से सम्बंधित अन्य किसी तत्काल कानून की परिसीमाओं के अतिरिक्त एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत ज़मानत के मामले में उदार दृष्टिकोण वास्तव में अनुचित है, को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया हो।*

22. इसके आगे हम यह टिप्पणी करना चाहते हैं कि फाज़िल एकल न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अधिदिष्ट निष्कर्ष को अभिलेख पर लेने में असफल रहे हैं जो कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को ज़मानत प्रदान करने में अनिवार्य है।

.....

.....

.....

26. फलस्वरूप, अपीलें मंजूर की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी(गण) को ज़मानत पर रिहा करते उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्त प्रत्यर्थी(गण) के ज़मानातनामे रद्द किये जाते हैं तथा उन्हें अभिरक्षा में लेने के लिए निर्देशित किया जाता है। विचारण न्यायालय को आगे की कार्यवाही करने और मुक़दमे का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए जाते हैं।"

18. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से ***"भारत संघ बनाम रत्तन मलिक @ हाबुल-(2009)" 2 एस.सी.सी. 624, "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बनाम किशन लाल" (1991) 1 एस.सी.सी. 705, "दिल्ली कस्टम (?) बनाम अहमदअलीवा नोदिरा" 2004 3 एस.सी.सी. 549, "भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी" (2007) 7 एस.सी.सी. 798, "सतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य" (2018) 13 एस.सी.सी. 813, "भारत संघ बनाम नियाज़ुद्दिन" (2018) 13 एस.सी.सी. 738*** के निर्णयों का भी आसरा लिया गया।

एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से ***"गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय बनाम नितिन जोहरी एवं अन्य" एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1178*** के निर्णय में दिए गए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212(6) के अनिवार्य होने के तर्क को दोहराने के लिए उस निर्णय का भी आसरा लिया गया और वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिसकी विस्तार से व्याख्या की गयी है, के अनुसार प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है क्योंकि अभिलेख पर प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रवंचना के मामले में प्रार्थी की बेगुनाही पर विश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है।

19. प्रार्थी की नियमित ज़मानत की प्रार्थना पर विचार करने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***"रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एस.सी.सी. 46*** में की गई टिप्पणी एवं उसके पैरा 21 में की गई विशेष टिप्पणी, जो कि निम्न है, को ध्यान में रखना आवश्यक है:-

"....21. माननीय न्यायालय के सुसंगत विचार में गहरे षड्यंत्र तथा लोक निधि के भारी नुकसान वाले आर्थिक अपराधों पर गंभीरता से विचार करने की तथा देश की पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते गंभीर अपराधों के रूप में देखने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप देश के वित्तीय स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है....."

20. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***"गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतामलजी पोरवाल एवं अन्य" (1987) 2 एस.सी.सी. 364*** के निर्णय एवं उसके पैरा 5 में की गई विशेष टिप्पणी , जो कि निम्न है, का भी आसरा लिया गया:-

"5. ..... यदि राज्य की अर्थव्यवस्था का विनाश करते आर्थिक अपराधियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो पूरा समाज व्यथित होता है। हत्या आवेश की तीव्रता में हो सकती है। आर्थिक अपराध शांत परिकलन एवं विचारपूर्वक षड्यंत्र के साथ निजी

लाभ के लिए बिना सामाजिक परिणाम की परवाह किये किया जाता है। सामाजिक हित की उपेक्षा केवल समाज के तंत्र पर निष्पक्ष तरीके से, सफेदपोश अपराध को अनुमोदक दृष्टि से देखने वाले तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं हित को पहुंची क्षति को ध्यान में न रखने वाले लोगों की आलोचना से डरे बिना, न्याय प्रदान करने की क्षमता पर विश्वास को खो कर चुकाई जा सकती है....."

21. इसके अतिरिक्त एस.एफ़.आई.ओ. ने यह प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने ***गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार, (2015) 16 एस.सी.सी. 1, तथा बिहार राज्य बनाम अमित कुमार, (2017) 13 एस.सी.सी. 751*** में समान दृष्टिकोण अपनाया है।

<u>विश्लेषण</u>

22. दोनों पक्षों की ओर से दाखिल प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि फाज़िल विशेष न्यायालय

द्वारा सी.टी. सं. 149/2020 में मामले के आरोपों की विरचना अभी बाकी है।

23. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ज़मानत अर्ज़ी सं. 2154/2019 ***"गौरव कुमार बनाम गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय"*** के 24.12.2019 के निर्णय एवं उसके पैरा 50 एवं 51 में की गई टिप्पणी के अनुसार यह देखा गया कि:-

> *"50. अतः आरोपों की विरचना या अन्यथा और विचारण, यदि कोई हो, के पहलू के गुणागुण पर विचार किये बिना, इन परिस्थितियों में, जहाँ तक हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" 2019 (14) स्केल 157 में यह स्थापित किया कि ज़मानत के सम्बन्ध में बुनियादी न्यायशास्त्र एक जैसा ही रहता है क्योंकि ज़मानत प्रदान करना नियम है और उससे इंकार अपवाद जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का मौका मिले और हालाँकि आर्थिक अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और*

ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय उक्त परिस्थिति पर विचार करना होता है, भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराधों में से एक हो, हर मामले में ज़मानत से इंकार नियम नहीं है क्योंकि विधान मंडल द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियमिति में कोई रोक नहीं लगाई गई है और न ही ज़मानत न्यायशास्त्र ऐसा कुछ प्रदान करता है।

51. इसके अलावा, इन ही परिस्थितियों में तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(6) के प्रावधानों पर भी विचार करना होगा और इस प्रकार यह तर्क नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि धारा 212(6) का प्रतिबंध अनिवार्य रूप से तत्काल मामले में लागू होगा,

और ज़मानत अर्ज़ी सं. 1706/2019 ***"सचिन जैन बनाम गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय"*** में 20.12.2019 के निर्णय और उसके पैरा 31 एवं 32 में की गई टिप्पणी के माध्यम से यह देखा गया है कि:-

"31. उक्त पहलू एवं ऊपर संदर्भित एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा याचिकाकर्ता को 16.08.2016 को जारी समन सं. एस.एफ़.आई.ओ./आई.एन.वी./334-339 एवं 359-463/ ए.एम.बी.बी.पी.एल. एवं अन्य एवं ए.ए.पी.एल. एवं अन्य/2016/आई/8425/2016 और 16.03.2017 को जारी समन सं. एस.एफ़.आई.ओ./आई.एन.वी./334-339 एवं 359-463/ ए.एम.बी.बी.पी.एल. एवं अन्य एवं ए.ए.पी.एल. एवं अन्य/2016/आई/10205/2017 प्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता को न पहुंचाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए एवं यह भी ध्यान में रखते हुए कि ***"रुक्मिणी नार्वेकर बनाम विजय सतारदेकर एवं अन्य" ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1013*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उसके पैरा 17 में की गई टिप्पणी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह माना गया कि हालांकि* ***"उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पढ़ी" ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 359*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में*

रखते हुए आरोप की विरचना पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष की सामग्री को नहीं देखा जा सकता परन्तु कुछ ऐसे दुर्लभ और असाधारण मामले हो सकते हैं जहाँ कुछ बचाव पक्ष सामग्री जब विचारण न्यायालय को दिखाई जाए तो उसे आरोप की विरचना के समय या संज्ञान में लेते समय न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है। इसके साथ ही ***"नित्या धर्मानन्द एवं अन्य बनाम गोपाल शीलम रेड्डी एवं अन्य" ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5846*** *के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, जिसमें पैरा 9 के माध्यम से यह देखा गया कि:-*

> ***"9. अतः, यह स्पष्ट है कि हालाँकि आमतौर पर न्यायलय को आरोप के मामले से निपटने के लिए आरोप पत्र के साथ पेश की गयी सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना होता है, परन्तु यदि न्यायालय को इस बात की संतुष्टि हो कि अन्वेषक/अभियोजक द्वारा उत्कृष्ट गुणवत्ता की सामग्री छुपाई गयी है तो न्यायालय को समन करने या उस पर***

भरोसा करने से वंचित नहीं किया जाता है, भले ही ऐसा दस्तावेज़ आरोप पत्र का हिस्सा न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप के चरण में बचाव पक्ष को बिना न्यायालय की संतुष्टि के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को लागू करने का अधिकार है।"

इसके साथ यह तथ्य कि एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा अभिलेख पर ऐसे कोई दस्तावेज़ नहीं रखे गए हैं जिन से यह दर्शाया जा सके कि याचिकाकर्ता द्वारा अभिकथित प्रवंचना के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किये गए हो, बिना आरोपों की विरचना या अन्य और मुक़दमे, यदि कोई हो, के पहलू के गुणागुण पर विचार किये, इन परिस्थितियों में, जहाँ तक हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***"पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" 2019 (14) स्केल 157*** *में यह स्थापित किया कि ज़मानत के सम्बन्ध में बुनियादी न्यायशास्त्र एक जैसा ही रहता है क्योंकि ज़मानत प्रदान करना नियम है और उससे*

इंकार अपवाद जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का मौका मिले और हालाँकि आर्थिक अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय उक्त परिस्थिति पर विचार करना होता है, भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराधों में से एक हो, हर मामले में ज़मानत से इंकार नियम नहीं है क्योंकि विधान मंडल द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियमिति में कोई रोक नहीं लगाया गया है और न ही ज़मानत न्यायशास्त्र ऐसा कुछ प्रदान करता है।

32. इसके अलावा, इन ही परिस्थितियों में तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(6) के प्रावधानों पर भी विचार करना होगा और इस प्रकार यह तर्क नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि धारा 212(6) का प्रतिबंध अनिवार्य रूप से तत्काल मामले में लागू होगा।"

24. हालांकि, एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वह लेनदेन जिन में याचिकाकर्ता शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप

याचिकाकर्ता द्वारा एक आर्थिक अपराध से सम्बन्धित प्रवंचना को अंजाम दिया गया है, प्रार्थी को ज़मानत प्रदान करने की उपेक्षा करते हैं।

25. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से ज़मानत अर्ज़ी सं. 639/2020 में इस न्यायालय की समन्वयक पीठ के 14.05.2020 के आदेश, जिसके माध्यम से सह-अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी को पैरा 43 की विशिष्ट टिप्पणी, जो कि निम्न है, के साथ ज़मानत प्रदान की गयी, को भी आधार माना गया:-

> ***"43. स्थिति आख्या को देखने और फाज़िल अतिरिक्त महा-सॉलिसिटर, सुश्री मनिंदर आचार्य, द्वारा पेश किये गए तर्कों पर विचार करने के बाद, सभी 7 धोखधड़ी की घटनाओं का मुख्य लाभार्थी प्रभात कुमार श्रीवास्तव और उसका परिवार है। याचिकाकर्ता ने अपने शेयर के ब्याज के माध्यम से मामूली लाभ प्राप्त किये हैं। सभी निदेशक और प्रवर्तक समान रूप से ज़िम्मेदार हैं, इसीलिए, याचिकाकर्ता और अन्य प्रवर्तकों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते।"***

यह प्रस्तुत करने के लिए कि यह पहले ही देखा जा चुका है कि प्रार्थी और उसका परिवार धोखाधड़ी की सभी 7 घटनाओं का मुख्य लाभार्थी था।

26. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से एक और विवाद यह उठाया गया कि ज़मानत अर्ज़ी सं. 418/2020 में इस न्यायालय के 08.04.2020 के आदेश तथा समान ज़मानत अर्ज़ी में जारी उसके साथ पढ़े जाने वाले इस न्यायालय के 02.07.2020 के आदेश जिसके पैरा 5 में की गई टिप्पणी, जो कि निम्न है, को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी दं.प्र.सं., 1973 की धारा 439 के अंतर्गत नियमित ज़मानत की मांग नहीं कर सकता है:-

> ***"5. याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति और असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस समय याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने को कहना और फिर 14 जुलाई, 2020 से उसे अंतरिम ज़मानत प्रदान करना याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति के हित में नहीं होगा और यह न्यायालय याचिकाकर्ता को दी गयी अंतरिम ज़मानत को ज़मानत अर्ज़ी सं. 418/2020 में 8 अप्रैल,***

2020 के आदेश के माध्यम से अधिरोपित नियम और शर्तों के अनुसार चार सप्ताह के लिए बढ़ाना उचित समझती है।"

6. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को 15 जुलाई, 2020 को आँख में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है और 17 जुलाई, 2020 को उसकी कैथेटर एंजियोग्राफी नहीं की जाती तो याचिकाकर्ता को 19 जुलाई, 2020 को हिरासत में आत्मसमर्पण करेगा।"

जिसके तहत 02.07.2020 के आदेश के माध्यम से 08.04.2020 के आदेश के अनुसार चिकित्सा आधार पर प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी गयी थी। इसके साथ ही 02.07.2020 के आदेश के माध्यम से यह माना गया कि यदि याचिकाकर्ता की आँख में 15 जुलाई 2020 को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता और 17 जुलाई 2020 को उसकी कैथेटर एंजियोग्राफी नहीं होती है तो याचिकाकर्ता 19 जुलाई 2020 को हिरासत में आत्मसमर्पण करेगा और केवल रि.या. (फौ.) 3037/2020 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए पारित 16.07.2020 के आदेश के माध्यम

से ही आ.वि. आ 9213/2020 में प्रार्थी को प्रदानित अंतरिम ज़मानत को 31.08.2020 तक ज़मानत अर्ज़ी सं. 418/2020 में 08.04.2020 के आदेश के माध्यम से लागू नियम और शर्तों के अनुसार बढ़ाया गया था और जैसा कि 20.10.2020 के आदेश के माध्यम से रि.या. (फौ.) 3037/2020 का निस्तारण किया गया और अंतरिम ज़मानत पर रिहा सभी कैदियों को चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था और उसके साथ कोई और विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही वादियों को यह निर्देश दिया गया कि वह अंतरिम आदेशों को बढ़ाने के लिए संबंधित न्यायालयों में समावेदन करने के लिए स्वतन्त्र हैं जिन पर सम्बंधित न्यायालयों में रि.या. (फौ.) 3037/2020 में 20.10.2020 को इस न्यायालय की माननीय पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार किया जा सकता है और इसके साथ ही यह तथ्य कि अपील करने हेतु विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 13021/2020 में 01.03.2021 के आदेश द्वारा अंतरिम ज़मानत में कोई और वृद्धि नहीं प्रदान की गयी और इस आदेश को माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के 15.03.2021 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से संशोधित किया गया और उक्त आदेश में नियत तिथि पर आत्मसमर्पण की अनुसूची स्थापित की गयी। एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से एक और विवाद यह उठाया गया कि चूँकि प्रार्थी जब तक आत्मसमर्पण नहीं करता वह अंतरिम ज़मानत पर है, दं.प्र.सं., 1973 की धारा 439 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता जिसके सम्बन्ध में याचिकाकर्ता की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***"संदीप कुमार बाफना बनाम राज्य" [(2014) 16 एस.सी.सी. 623]*** में पारित निर्णय का आसरा लेने की प्रार्थना की जाती है जहाँ यह स्थापित किया गया कि आत्मसमर्पण के आवेदन को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी दं.प्र.सं. की धारा 439 के अभिप्राय के अंदर न्यायालय की हिरासत में आ जायेगा।

27. उक्त पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह विचार है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता अंतरिम ज़मानत पर है यह नहीं माना जा सकता कि उसकी नियमित ज़मानत की अर्ज़ी पर उसके

आत्मसमर्पण करने तक विचार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमित ज़मानत की मांग करती प्रार्थी की अर्ज़ी तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अव्यक्त रूप से यह मानती है कि प्रार्थी को 02.12.2019 को गिरफ़्तार करने के बाद अंतरिम ज़मानत प्रदान की गयी थी। प्रार्थी को 09.01.2021 को चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत प्रदान की गयी थी जिसके बाद उसने 08.02.2020 को आत्मसमर्पण किया और फिर ज़मानत अर्ज़ी 418/2020 दायर की जिसमें उसे 08.04.2020 के आदेश के माध्यम से छह सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत प्रदान की गयी थी जिसे 14.05.2020 के आदेश के माध्यम से चिकित्सा आधार पर बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 19.05.2020 और 16.07.2020 के आदेशों द्वारा बढ़ाया गया और फिर रि.या. (फौ.) 3037/2020 में इस न्यायालय की माननीय पूर्ण न्यायपीठ के आदेशों के सम्बन्ध में बढ़ाया गया और तत्काल मामले में 15.03.2021 के आदेश के माध्यम से 24.03.2021 यानी आज की तारीख में सूचीबद्ध आदेशों की सुनवाई तक बढ़ाया गया। अतः तत्काल

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर दं.प्र.सं., 1973 की धारा 439 के सम्बन्ध में नियमित ज़मानत पर रिहाई की मांग करती याचिका सुनवाई योग्य है।

28. जहाँ तक याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस विवाद का सम्बन्ध है कि वह बीमार व्यक्ति या दुर्बल व्यक्ति होने के दायरे में आता है, उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(6) और उसके परन्तुक के अनुसार दो बातों पर विचार किये बिना, यह कि वह इस तरह के अपराध में दोषी नहीं है और ज़मानत के दौरान उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने की संभावना नहीं है, उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रार्थी ने यह निवेदन किया था कि ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट द्वारा जारी दस्तावेज़ अनुसार अप्रैल, 2021 के पहले सप्ताह में उसकी कोरोनरी हार्ट एंजियोग्राफी होनी थी और इस दस्तावेज़ को एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा सत्यापित करने के निर्देश दिए गए थे और इसके अलावा 09.03.2021 के आदेश के माध्यम से प्रार्थी जिस जेल में क़ैद था उसके जेल अधिकारियों से यह जानने के

लिए कि, यदि उक्त टेस्ट आवश्यक है या नहीं और जेल परिसर में किया जा सकता है या नहीं, एक आख्या मांगी गयी। प्रार्थी की शारीरिक हालत के सम्बन्ध में एस.एफ़.आई.ओ. से एक सत्यापन आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा गया था।

29. एस.एफ़.आई.ओ. ने 10.03.2021 की एक प्रश्नावली, जो कि निम्न है, के माध्यम से ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट, द्वारका द्वारा जारी दस्तावेज़ को सत्यापित किया:-

"सं. एस.एफ़.आई.ओ./ आई.एन.वी./ आर.एच.एल./ 838/ 2018/ 1/ 21796/ 2021 दिनांक: 10.03.2021

सेवा में,

ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट,
पालम विहार, सेक्टर- 6,
द्वारका,
नई दिल्ली- 110075

विषय: एच.एच.सी., दिल्ली के आदेश पर चिकित्सकीय राय की मांग करते हुए

महोदय,

श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने ज़मानत अर्ज़ी सं. 463/2021 दायर कर माननीय उच्च न्यायालय से ज़मानत की मांग की है और उसकी ज़मानत याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को प्रभात कुमार श्रीवास्तव की चिकित्सा स्थिति को उसके अप्रैल, 2021 के पहले सप्ताह में कोरोनरी हार्ट एंजियोग्राफी नियत होने के अभिकथन के सम्बन्ध में सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके समर्थन में, उसने आपके अस्पताल की 06.02.2021 की एक बाह्य रोगी सारांश (प्रतिलिपि संलग्न) जमा की है। इस सम्बन्ध में, आपको यह बताना आवश्यक है:-

क) क्या श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव द्वारा पेश दस्तावेज़ सही है

ख) श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव की शारीरिक हालत कैसी है और उन्हें क्या डाक्टरी सलाह दी गयी है, यदि कोई हो

ग) क्या श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव की कोरोनरी हार्ट एंजियोग्राफी प्रक्रिया आवश्यक है और यह प्रक्रिया कितने समय में की जानी चाहिए

घ) क्या ऐसी प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, यदि हाँ तो कितने दिनों के लिए यह निर्दिष्ट किया जाए?

ङ) क्या यह प्रक्रिया अप्रैल, 2021 के पहले सप्ताह के लिए नियत है"

ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट द्वारा प्राप्त जवाब इस प्रकार है:-

दिनांक: 12.03.2021

"सेवा में,

श्री अरुण कुमार,
उप निदेशक,
एस.एफ़.आई.ओ.,
नई दिल्ली

आपके 10.03.2021 के पत्र संख्या एस.एफ़.आई.ओ./ आई.एन.वी./ आर.एच.एल./ 838/ 2018/ 1/ 21796/ 2021 के सन्दर्भ में

बिंदुवार जवाब निम्न है:

क) दस्तावेज़ सही है। वह 06.02.2021 को अस्पताल आया था।

*ख) वह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसिपिडिमिया कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ का पुराना मरीज़ है और मार्च, 2017 में वेंकटेश्वर अस्पताल में पोस्ट एंजियोग्राफी हुई थी। अब उसे एंजिनापेक्टोरिस एन.वाई.एच.ए. सी.एल.2 और परिश्रम पर डिस्पनिया की दिक्कत आ रही है। **(....sic....)** वह एम्स से आँखों के रोग का इलाज करवा रहा है। सी.टी. कोरोनरी एनजी, जिसमें काफी एल.ए.डी. लीज़न नज़र आये थे, को ध्यान में रखते हुए एंजियोग्राफी आयोजित की गयी थी परन्तु रोगी कोरोनरी एंजियो बाद में करवाना चाहता है, अप्रैल के पहले सप्ताह में आँखों के इलाज के बाद।*

ग) हाँ, लक्षणों और सी.टी. कोरोनरी एंजियो में नज़र आ रहे विचारणीय रोग को ध्यान में रखते हुए उसे कोरोनरी एंजियोग्राफी की आवश्यकता है।

परन्तु, कार्डियोलॉजिस्ट से दूसरी राय ली जा सकती है। एंजियोग्राफी में एक दिन का समय लगता है लेकिन प्रक्रिया के आधार पर अतिरिक्त हस्तक्षेप/सी.ए.बी.जी. की आवश्यकता पड़ सकती है।

घ) हाँ, एंजियोग्राफी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। एंजियोग्राफी में एक दिन लगता है लेकिन आवश्यक प्रक्रिया और किडनी फंक्शन टेस्ट आदि के आधार पर, दूसरी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है।

ङ) रोगी की इच्छा अनुसार, इसे अप्रैल के पहले सप्ताह के लिए आयोजित किया गया है। वह आंखों का इलाज पहले करवाना चाहता है।"

30. 09.03.2021 के आदेश के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, केंद्रीय कारागार- 07, तिहाड़, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई आख्या इस प्रकार है:-

"डा.सं./एस.एम.ओ./केंद्रीय कारागार- 07/2021/539

दिनांक: 12.03.2021

(अदालती मामला)

सेवा में,

अधीक्षक,

केंद्रीय कारागार- 07,
तिहाड़, नई दिल्ली- 110064

विषय:- माननीय न्यायाधीश सुश्री अनु मल्होत्रा, दिल्ली उच्च न्यायायलय, नई दिल्ली के न्यायालय द्वारा क़ैदी प्रभात कुमार श्रीवास्तव, पुत्र सरजू प्रसाद श्रीवास्तव की मांगी गयी आख्या के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, एतद्द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त क़ैदी, प्रभात कुमार श्रीवास्तव (60 वर्ष, पुरुष), पुत्र सरजू प्रसाद श्रीवास्तव पहले केंद्रीय कारागार- 07, तिहाड़ में क़ैद था।

09.03.2021 के न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दो मुद्दों/प्रश्नों के बारे में जानना चाहता है:-

1. क्या एंजियोग्राफी टेस्ट जेल परिसर में हो सकता है?

2. क्या अभियुक्त को हिरासत में एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए उपयुक्त सरकारी अस्पताल में ले जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यदि डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाये तो?

<u>स्पष्टीकरण:</u> *दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि रोगी क़ैदी, प्रभात कुमार श्रीवास्तव अनियंत्रित टाइप-2 डायबिटीज़ मेलिटस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, सी.ए.डी. (कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़) (हार्ट डिज़ीज़), 2017 में हुए पी.टी.सी.ए. की प्रक्रिया, डायबिटीज़ मैक्युलर इडिमा के साथ गंभीर नॉन प्रोलीफ़िरेटिव डायबिटीज़ रेटिनोपैथी और हाइपोथायरायडिज़्म का ज्ञात रोगी था। 27.02.2020 से 23.03.2020 तक रोगी क़ैदी केंद्रीय कारागार सं. 07 के औषधालय के एम.आई. कक्ष में गंभीर हालत में भर्ती था। केंद्रीय कारागार सं. 07 में रहने के दौरान, उसे बार बार सी.ए.डी. (कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़) (हार्ट डिज़ीज़) के पुनरीक्षण उपचार हेतु सफ़दरजंग अस्पताल और डायबिटीज़ मैक्युलर इडिमा के साथ गंभीर नॉन प्रोलीफ़िरेटिव डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के उपचार हेतु मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इंट्राविटरियल इंजेक्शन (आँख) के लिए एम्स (आर.पी. केंद्र) भेजा जाता था। बीमारियों के अपरिवर्तनीय स्वभाव और रोगी के अनेक सहरूग्णताओं को ध्यान में रखते हुए,*

उसे नियमित चिकित्सा देखभाल और कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ (सी.ए.डी.) के आगे के उपचार, जैसे कि ***कैथेटर एंजियोग्राफी जो कि केंद्रीय कारागार सं. 07 के औषधालय और केंद्रीय कारागार अस्पताल के भीतर संभव नहीं है****, की आवश्यकता है।*

कार्डियोलॉजी एवं ऑपथैलमोलॉजी (आँख) की बीमारियों *से सम्बंधित आपातकालीन स्थिति में, यदि रोगी 60 मिनट की समय सीमा के भीतर सुपर स्पेशलटी नहीं पहुंचता तो* ***आँखों की स्थायी अक्षमता और फ़ालिज़ और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना भी खारिज नहीं की जा सकती है।****"*

31. अतः याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता बीमार या दुर्बल व्यक्ति होने के दायरे में आता है वहीं दूसरी ओर एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से फाज़िल अति.म.सॉ द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी एंजियोग्राफी अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी आंखों के उपचार के बाद कराने की मांग कर स्वयं बीमार या दुर्बल व्यक्ति होना चुना है।

32. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को कारागार औषधालय में 27.02.2020 से 23.03.2020 तक उपचार उपलब्ध कराये जाने तथा डायबिटीज़ मैक्युलर इडिमा के साथ गंभीर नॉन प्रोलीफ़िरेटिव डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के उपचार हेतु मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इंट्राविटरियल इंजेक्शन (आँख) के लिए सफ़दरजंग अस्पताल और एम्स (आर.पी. केंद्र) में उपचार उपलब्ध कराये जाने का तथ्य यह संकेत देता है कि याचिकाकर्ता को कारागार में क़ैद रहने के दौरान पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है चूँकि उसे कारागार से सम्बंधित अस्पतालों यानी कि सफ़दरजंग अस्पताल एवं एम्स अस्पताल में उसकी कैथेटर एंजियोग्राफी तथा उसकी आँख में लगने वाले इंट्राविटरियल इंजेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, केंद्रीय कारागार- 07, औषधालय द्वारा प्राप्त आख्या में की गई टिप्पणी, जो कि निम्न है:-

"***<u>कार्डियोलॉजी एवं ऑपथैलमोलॉजी (आँख) की बीमारियों</u>*** *<u>से सम्बंधित आपातकालीन स्थिति में, यदि रोगी 60 मिनट की समय सीमा के भीतर सुपर स्पेशलटी नहीं पहुंचता तो</u>* ***<u>आँखों की स्थायी अक्षमता और फ़ालिज़ और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना भी खारिज नहीं की जा सकती है।</u>***"

केवल सामान्य रूप के हैं और जेल के किसी भी क़ैदी पर लागू हो सकते हैं।

<u>निष्कर्ष</u>

33. दोनों पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों पर विचार करने पर, इस न्यायालय की विचारणीय राय में प्रार्थी को इतना बीमार नहीं माना जा सकता कि उसे शिकायती मुक़दमे की कार्यवाही के निपटान तक नियमित ज़मानत प्रदान करने के दायरे में रखा जाये क्योंकि उसको केवल इंट्राविटरियल इंजेक्शन एवं एंजियोग्राफी, जिसे उसने स्वयं अपने आँखों के इंजेक्शन के बाद पुननिर्धारित करवाना चुना है और जिसके लिए ह्यूमन केयर मेडिकल ट्रस्ट की आख्या अनुसार भी एक दिन के लिए अस्पताल

में भर्ती होना पड़ेगा, की आवश्यकता है और दूसरी प्रक्रिया में आवश्यक प्रक्रियाओं और किडनी फंक्शन टेस्ट के अनुसार समय लगेगा।

34. अतः, हालांकि न्यायालय धारा 212(6) और उसके अलावा दिए गए परन्तुक के अनुसार प्रार्थी को बीमार व्यक्ति या दुर्बल व्यक्ति की श्रेणी में ज़मानत प्रदान करना उचित नहीं समझता है फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि प्रार्थी ने स्वयं अपनी एंजियोग्राफी अप्रैल, 2021 के महीने में अपनी आँखों के इलाज के बाद करवाने का निर्णय लिया है और क्योंकि प्रार्थी को चिकित्सकीय देख-भाल की आवश्यकता है प्रार्थी को 08.04.2020 के आदेश द्वारा प्रदानित अंतरिम ज़मानत की अवधि को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाना उचित समझा जाता है, जिसके पश्चात उसे बिना चूके आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए जाते हैं।

35. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क का सवाल है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(6)(बी) में दी गयी प्रयोजनीय वस्तुओं की पूर्ति, जब तक राजकोष तथा लोक हित को किसी प्रकार की कोई हानि न पहुंची हो, वर्तमान मामले में आवश्यक नहीं है, यह तथ्य

कि कंपनी अधिनियम की धारा 447 स्वयं व्याख्या (i) के माध्यम से **'कपट'** को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"447. कपट के लिए दंड-.....

.....

.....

व्याख्या- इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(i) एक कंपनी या निगमित निकाय के कामकाज के सम्बन्ध में "कपट" में कोई भी कार्य, चूक, तथ्य की संवृति या किसी व्यक्ति द्वारा पद का दुरुपयोग या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देने, उस से अनुचित लाभ प्राप्त करने या कंपनी या उसके शेयरधारकों या उसके लेनदारों या अन्य किसी व्यक्ति के हित को हानि पहुंचाने के आशय से किसी प्रकार की मिलीभगत, चाहे उस से कोई गलत लाभ या गलत हानि हो या न हो, शामिल है;"

यह दर्शाता है कि एक कंपनी या निगमित निकाय के कामकाज के सम्बन्ध में स्वयं प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति को कोई गलत लाभ या

गलत हानि हुई हो या न हुई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के सम्बन्ध में यदि कोई कार्य, चूक, तथ्य की संवृति या किसी व्यक्ति द्वारा पद का दुरुपयोग या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देने, उस से अनुचित लाभ प्राप्त करने या कंपनी या उसके शेयरधारकों या उसके लेनदारों या अन्य किसी व्यक्ति के हित को हानि पहुंचाने के आशय से किसी प्रकार की मिलीभगत की जाती है तो "कपट" लागू होता है। इसके सम्बन्ध में, सह-अभियुक्त आदित्य कुमार भंडारी की ज़मानत अर्ज़ी सं. 639/2020, जिसके अंतर्गत उसे ज़मानत प्रदान की गयी थी, में इस न्यायालय के प्रेक्षण, जिसमें स्पष्ट रूप से यह देखा गया कि सभी सात कपट की घटनाओं का मुख्य लाभार्थी प्रभात कुमार श्रीवास्तव यानी इस मामले का याचिकाकर्ता और उसका परिवार है, को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

36. एस.एफ़.आई.ओ. की ओर से प्रस्तुत स्थिति आख्या विशेष रूप से याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर के माध्यम से ₹13.17 करोड़ की राशि के सह-

अभियुक्त ऋषि कुमार श्रीवास्तव के निजी बचत खाते में अंतरण की घटना का आरोप लगाती है। यह राशि ऋषि कुमार श्रीवास्तव के खाते से अरक्षित ऋण के रूप में आर.एच.एल. को अंतरित कर दी गयी जो आर.एच.एल. धीरे धीरे साल 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में ऋषि कुमार श्रीवास्तव को चुकाता रहा, जब कि कथित तौर पर यह निधि असल में आर.एच.एल. की ही थी। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि एफ़.ए.आर.सी. से ऋषि कुमार श्रीवास्तव को राशि अंतरित कर और फिर अरक्षित ऋण के रूप में आर.एच.एल. को अंतरित कर एक झूठे दिखावे की सृजना की गयी, यह दर्शाने के लिए कि राशि ऋषि कुमार श्रीवास्तव द्वारा आर.एच.एल. को अंतरित कर दी गयी थी, जैसा कि एफ़.ए.आर.सी. के वित्तीय विवरण में भी दर्शाया गया था, जब कि आर.एच.एल. पर ₹13.17 करोड़ की राशि, जो कि वैसे आर.एच.एल. की ही थी, की अतिरिक्त देनदारी का भार आ गया। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता पर यह आरोप लगाया कि जांच के दौरान एकत्रित ईमेल संचार से यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता ने हॉस्पिटल इनफार्मेशन सिस्टम में दर्ज “डॉक्टर

रेफर्ड पेशेंट्स" से सम्बंधित पेशेंट इनफार्मेशन के प्रत्यक्ष हेरफेर का पर्यवेक्षण किया था तथा हॉस्पिटल इनफार्मेशन सिस्टम में जिन डॉक्टरों के नाम दर्ज थे उन्होंने शपथपूर्वक यह बयान दिया कि "डॉक्टर रेफर्ड पेशेंट्स" पर की गयी ऐसी मात्रा या स्वरुप की शल्यचिकित्साएं झूठी और जाली थी और डी.आर.पी. से संबंधित संव्यवहार काल्पनिक एवं लेखा पुस्तकों में जाली प्रविष्टि करने का एक तरीका था। इसके साथ ही यह तथ्य कि एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा की गयी जांच के अनुसार, प्रार्थी पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर नकली प्रत्यारोपण बिल बनाने के आरोप हैं। अतः प्रार्थी के विरुद्ध एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा की गयी अन्य प्रस्तुतियों के अलावा, वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां ज़मानत अर्ज़ी सं. 1706/2019 शीर्षक ***सचिन जैन बनाम गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय*** में प्रार्थी की ओर से जिन मामलों पर भरोसा जताया गया उनके तथ्यों और परिस्थितियों से अलग हैं चूँकि उस मामले में एस.एफ़.आई.ओ. द्वारा कोई दस्तावेज़ अभिलेख पर नहीं रखा गया जिससे अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार के कथित छल के माध्यम से

प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति दर्शाई जा सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में कथित तथ्य ज़मानत अर्ज़ी सं. 2154/2019 शीर्षक ***गौरव कुमार बनाम गंभीर कपट अन्वेषण अधिकारी*** मामले, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 की प्रयोज्यता से सम्बंधित आरोप प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के जमा न होने पर पूरी तरह से संशयात्मक बताये गए थे चूँकि उक्त अभियुक्त गौरव कुमार द्वारा वैधानिक प्राधिकरण के साथ कोई दस्तावेज़ दायर नहीं किये गए थे और उपलब्ध वैधानिक अभिलेख से बनाये गए केवल कुछ ड्राफ़्ट दस्तावेज़ मौजूद थे जिन्हें एम.सी.ए. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था, के तथ्यों और परिस्थितियों के समविषय में नहीं हैं।

37. अतः वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रार्थी को ज़मानत देना उचित नहीं माना जाता है। परन्तु, जैसा कि ऊपर देखा गया, प्रार्थी को 08.04.2020 के आदेश के माध्यम से प्रदानित अंतरिम ज़मानत को ज़मानत अर्ज़ी सं. 418/2020 में 08.04.2020 के आदेश द्वारा लागू नियम और शर्तों के अनुसार ही 60 दिनों की अवधि के लिए

बढ़ाया जाता है और उसके बाद ऊपर दिए गए अभिलेख के अनुसार अतिरिक्त शर्तों, यानी प्रार्थी अंतरिम ज़मानत की अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में देश छोड़ कर नहीं जायेगा और विचारण न्यायालय के निर्देश अनुसार जब भी आवश्यक हो विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

38. तदनुसार अर्ज़ी का निपटान किया जाता है।

न्या. अनु मल्होत्रा

मार्च 25, 2021

'नेहा चोपड़ा'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|